... पत्रावली वादी ...

30/3/26 को पेश हो

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

पत्रावली पेश हुई। हलका वादी औपचारिक सिद्धि [illegible] किया जाता है। [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] को [illegible] [illegible] [illegible]

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

1. रामजीलाल पुत्र गोविन्दा उम्र 51 उम्र
2. शांति देवी बेवा रामप्रसाद उम्र 50 साल
3. चेतन उर्फ चेतराम पुत्र रामप्रसाद उम्र 71 साल
4. दीपक पुत्र रामप्रसाद आयु 25 साल

सभी जाति कोलीयान निवासीयान पठान खिडकिया करौली व तह0 व जिला करौली राज0

—वादीगण

बनाम

1. कलावाई बेवा जौहरी आयु 55 साल
2. रामसहाय पुत्र जोहरी उम्र 26 साल

जाति कोलीयान निवासीयान पठान खिडकिय बाहर करौली तहसील व जिला करौली राज0

3. रेशम पुत्र जोहरी पत्नी रामवीर जाति कोली नि. बाडी जिला धौलपुर
4. रामदुलारी पुत्री जोहरी पत्नी शिवचरण कोली नि. बाडी जिला धौलपुर
5. पिंकी पुत्री जोहरी पत्नी रमेश जाति कोली नि. बरईपुरा तह.बसेडी
6. नर्वदा पुत्री जोहरी पत्नी राकेश जाति कोली निवासी करौली
7. कमला बेवा शिवचरण आयु 53 साल जाति कोली निवासी करौली
8. सुरेश पुत्र शिवचरण आयु 27 साल जाति कोली निवासी करौली
9. फूलवाई पुत्री शिवचरण पत्नी पप्पू कोली नि.उमरे तह.बाडी जिला धौलपुर
10. जिओ पुत्री शिवचरण पत्नी मुंशी कोली नि.जनूधर तह.डीग जिला भरतपुर
11. गोलो पुत्री शिवचरण पत्नी बृजेन्द्र कोली नि.धौरेटी तह.बयाना जिला भरतपुर
12. बबली पुत्री शिवचरण पत्नी संजय कोली नि.जनूधर तह.डीग जिला भरतपुर
13. कल्ला पुत्री शिवचरण पत्नी करण कोली नि.जनूधर तह.डीग जिला भरतपुर
14. रामलाल पुत्र गोविन्दा आयु 52 साल जाति कोली नि.पठान खिडकिया बाहर करौली **(फौत)**

14/1. कैलाशी बेवा रामलाल आयु 63 साल जाति कोली निवासी पठान खिडकिया बाहर करौली जिला करौली राज.

14/2. देवीचरण पुत्र रामलाल आयु 29 साल
14/3. जमनालालपुर रामलाल उम्र 37 साल
14/4. जीतेन्द्र शाक्यवार पुत्र रामलाल उम्र 28 साल
14/5. जगन्नाथ शाक्यवार पुत्र रामलाल उम्र 28 साल
14/6. शनि शाक्यवार पुत्र रामलाल उम्र 20 साल
14/7. कीर्ति पुत्री रामलाल आयु 18 साल

जाति कोली नि. पठान खिडकिया बाहर जिला करौली

14/8. राजवाई पुत्र रामजीलाल आयु 25 साल जाति कोली निवासी पठान खिडकिया बाहर करौली हालवासी पंचायत भवन के पास महूं कला गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राज0

15. श्यामलाल पुत्र गोविन्दा उम्र 45 साल जाति कोली निवासी पठान खिडकिया बाहर करौली तह. करौली ———फौत

15/1. विमला पत्नी श्यामलाल आयु 56 साल
15/2. प्रभुदयाल पुत्र श्यामलाल आयु 28 साल

जाति कोली नि0 पठान खिडकिया बाहर करौली

15/3. सतीश पुत्र श्यामलाल आयु 22 साल जाति कोली निवासी पठान खिडकिया बाहर करौली तह. करौली **(फौत)**

15/3/1. प्रीति बेवा स्व0सतीश उम्र 27 साल जाति कोली नि.पठान खिडकिया करौली

15/3/2. रूद्र प्रताप शाक्य पुत्र स्व0 सतीश आयु 7 साल
15/3/3. शालू पुत्री स्व0 सतीश उम्र 5 साल
15/3/4. शिवानी पुत्र स्व0 सतीश आयु 3 साल

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

सभी नावालिगान जरिये बली कुदरती माता प्रति बेवा स्व0 सतीश जाति कोली निवासीयान पठान खिडकिया करौली तह. करौली राज0

15/4. संगीता पुत्री श्यामलाल आयु 26 साल
15/5. पूर्ति पुत्री श्यामलाल आयु 18 साल
15/6. हेमलता पुत्री श्यामलाल आयु 24 साल
} जाति कोली निवासी पठान खिडकिया बाहर करौली

16. रामदेई पुत्री गोविन्द्र उम्र 55 साल जाति कोली निवासी नरिंया कोलोनी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर –फौत

16/1. राजू पुत्र स्व,रामदेई पत्नी बाबूलाल पुत्री गोविन्द्रा निवासी नरिंया कोलोनी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

16/2. कंन्चो पुत्र रामदेई पत्नी बाबूलाल पुत्री गोविन्दा

16/3. सुनीता पुत्र रामदेई पत्नी बाबूलाल पुत्री गोविन्दा

16/4. लक्ष्मी पुत्री रामदेई पत्नी बाबूलाल पुत्री गोविन्दा
सभी जाति कोली निवासीयान नसिंया कोलोनी गंगापुर सिटी जिला माधोपुर

17. रूमाली पुत्री गोविन्दा पत्नी लालचन्द उम्र 42 साल जाति कोली निवासी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

18. सामनता पुत्र नत्थी पौत्र गैंदा आयु 40 साल जाति कोली निवासी गाधौली तह. मासलपुर

19. रामकुमार पुत्र नत्थी पौत्र गैंदा जाति कोली उम्र 22 साल निवासी गाधौली तहसील मासलपुर

20. इन्द्रा पुत्री नत्थी पौत्री गैंदा पत्नी राजू कोली निवासी लौहर्रा तहसील व जिला करौली राज0

21. राजकुमारी पुत्र नत्थी पोत्री गैंदा पत्नी सुरेन्द्र जाति कोली निवासी कोटरी पालनपुरा तह.हिण्डौन जिला करौली राज0

22. तहसीलदार तहसील करौली राज0

–प्रतिवादीगण

दावा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 9/13

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री अब्दुल वाहिद, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री श्याम प्रकाश गर्ग, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार, करौली प्रतिवादी नंबर 22 को आदेश दिये जाते है कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 7951, 7954 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली के संबंध में गोविन्दा पुत्र भौंदा एवं गोविन्दा पुत्र गेंदा के वारिसान की विधिवत जांच कर वादीगण किसके वारिसान है की भी जांच कर वादीगण के हक में विरासत नामांतकरण कार्यवाही लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करने का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, करौली को पालनार्थ भिजवायी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

.... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह निज ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20/3/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर [illegible] हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–9/13 तारीख रजु:–15.2.13

उनवान

1. रामजीलाल पुत्र गोविन्दा उम्र 51 उम्र
2. शांति देवी बेवा रामप्रसाद उम्र 50 साल
3. चेतन उर्फ चेतराम पुत्र रामप्रसाद उम्र 71 साल
4. दीपक पुत्र रामप्रसाद आयु 25 साल

सभी जाति कोलीयान निवासीयान पठान खिडकिया करौली व तह0 व जिला करौली राज0

–वादीगण

बनाम

1. कलावाई बेवा जौहरी आयु 55 साल
2. रामसहाय पुत्र जोहरी उम्र 26 साल

जाति कोलीयान निवासीयान पठान खिडकिया बाहर करौली तहसील व जिला करौली राज0

3. रेशम पुत्र जोहरी पत्नी रामवीर जाति कोली नि. बाडी जिला धौलपुर
4. रामदुलारी पुत्री जोहरी पत्नी शिवचरण कोली नि. बाडी जिला धौलपुर
5. पिंकी पुत्री जोहरी पत्नी रमेश जाति कोली नि. बरईपुरा तह.बसेडी
6. नर्वदा पुत्री जोहरी पत्नी राकेश जाति कोली निवासी करौली
7. कमला बेवा शिवचरण आयु 53 साल जाति कोली निवासी करौली
8. सुरेश पुत्र शिवचरण आयु 27 साल जाति कोली निवासी करौली
9. फूलवाई पुत्री शिवचरण पत्नी पप्पू कोली नि.उमरे तह.बाडी जिला धौलपुर
10. जिओ पुत्री शिवचरण पत्नी मुंशी कोली नि.जनूधर तह.डीग जिला भरतपुर
11. गोलो पुत्री शिवचरण पत्नी बृजेन्द्र कोली नि.धौरेटी तह.बयाना जिला भरतपुर
12. बबली पुत्री शिवचरण पत्नी संजय कोली नि.जनूधर तह.डीग जिला भरतपुर
13. कल्ला पुत्री शिवचरण पत्नी करण कोली नि.जनूधर तह.डीग जिला भरतपुर
14. रामलाल पुत्र गोविन्दा आयु 52 साल जाति कोली नि.पठान खिडकिया बाहर करौली **(फौत)**

14/1. कैलाशी बेवा रामलाल आयु 63 साल जाति कोली निवासी पठान खिडकिया बाहर करौली जिला करौली राज.

14/2. देवीचरण पुत्र रामलाल आयु 29 साल
14/3. जमनालाल पुत्र रामलाल उम्र 37 साल
14/4. जीतेन्द्र शाक्यवार पुत्र रामलाल उम्र 28 साल
14/5. जगन्नाथ शाक्यवार पुत्र रामलाल उम्र 28 साल
14/6. शनि शाक्यवार पुत्र रामलाल उम्र 20 साल
14/7. कीर्ति पुत्री रामलाल आयु 18 साल

जाति कोली नि. पठान खिडकिया बाहर जिला करौली

14/8. राजवाई पुत्र रामजीलाल आयु 25 साल जाति कोली निवासी पठान खिडकिया बाहर करौली हालवासी पंचायत भवन के पास महूं कला गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राज0

15. श्यामलाल पुत्र गोविन्दा उम्र 45 साल जाति कोली निवासी पठान खिडकिया बाहर करौली तह. करौली **(फौत)**

15/1. विमला पत्नी श्यामलाल आयु 56 साल
15/2. प्रभुदयाल पुत्र श्यामलाल आयु 28 साल

जाति कोली नि0 पठान खिडकिया बाहर करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

15/3 सतीश पुत्र श्यामलाल आयु 22 साल जाति कोली निवासी पठान खिड़किया बाहर करौली तह. करौली (फौत)

15/3/1 प्रीति बेवा स्व0सतीश उम्र 27 साल जाति कोली नि.पठान खिड़किया करौली

15/3/2 रूद्र प्रताप शाक्य पुत्र स्व0 सतीश आयु 7 साल

15/3/3 शानू पुत्री स्व0 सतीश उम्र 5 साल

15/3/4 शिवानी पुत्र स्व0 सतीश आयु 3 साल

सभी नाबालिगान जरिये वली कुदरती माता प्रीति बेवा स्व0 सतीश जाति कोली निवासीयान पठान खिड़किया करौली तह. करौली रा0

15/4. संगीता पुत्री श्यामलाल आयु 26 साल
15/5. प्रीति पुत्री श्यामलाल आयु 18 साल
15/6. हेमलता पुत्री श्यामलाल आयु 24 साल
जाति कोली निवासी पठान खिड़किया बाहर करौली

16. रामदेई पुत्री गोविन्द उम्र 55 साल जाति कोली निवासी नसियां कालोनी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर –फौत

16/1. राजू पुत्र स्व.रामदेई पत्नी बाबूलाल पुत्री गोविन्दा निवासी नसियां कोलोनी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

16/2. कन्चो पुत्र रामदेई पत्नी बाबूलाल पुत्री गोविन्दा

16/3. सुनीता पुत्र रामदेई पत्नी बाबूलाल पुत्री गोविन्दा

16/4. लक्ष्मी पुत्री रामदेई पत्नी बाबूलाल पुत्री गोविन्दा
सभी जाति कोली निवासीयान नसिया कोलोनी गंगापुर सिटी जिला माधोपुर

17. रूमाली पुत्री गोविन्दा पत्नी लालचन्द उम्र 42 साल जाति कोली निवासी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

18. सामन्ता पुत्र नत्थी पौत्र गैंदा आयु 40 साल जाति कोली निवासी गाधौली तह.मासलपुर

19. रामकुमार पुत्र नत्थी पौत्र गैंदा जाति कोली उम्र 22 साल निवासी गाधौली तहसील मासलपुर

20. इन्द्रा पुत्री नत्थी पौत्री गैंदा पत्नी राजू कोली निवासी लौहर्रा तहसील व जिला करौली राज0

21. राजकुमारी पुत्र नत्थी पोत्री गैंदा पत्नी सुरेन्द्र जाति कोली निवासी कोटरी पालनपुरा तह.हिण्डौन जिला करौली राज0

22. तहसीलदार तहसील करौली राज0

–प्रतिवादीगण

दावा इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

–::निर्णय::–

दिनांक :– 30/01/26

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि दावे मद नंबर 1 व 2 में साजरा दर्ज है। आराजी खसरा नं0 7951 रकवा 1 वीघा 5 विस्वा बारानी ए खसरा नं0 7954 रकवा 15 विस्वा बारानी ए पटवार हल्का 10 करौली सी में स्थित है जो वादीगण नं0 1 के पिता व वादी नं0 2 के ससुर व वादीगण नं0 3 व 4 के बाबा गोविन्दा पुत्र भौदा की

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है गोविन्दा दिनाक 21.8.2000 को फौत हो गया एवं गोविन्दा का पुत्र रामप्रसाद अर्सा करीब 4 साल पूर्व फौत हो गया एवं गोविन्दा का पुत्र रामप्रसाद अर्सा करीब 4 साल पूर्व फौत हो गया था, गोविन्दा के हम वादीगण ही वारिस और काबिज काश्त है गोविन्दा की मृत्यु के बाद उक्त आराजी का खाता हम वादीगण के नाम नही खुला है। आराजी खसरा नं0 7951, 7954 का सेटलमेंट के पूर्व का नं0 6060 व 6062 है। प्रतिवादीगण नं0 1 ता 17 बेईमान किस्म के लोग है ये लोग भूमाफिया है भोले–भाले लोगों के साथ षडयंत्र कर फर्जी तरीके से जमीनों को हडपते रहते हैं। प्रतिवादीगण ने वादीगण के साथ भी षडयंत्र कर वादीगण की आराजी को फर्जी तरीके से बेचने पर उतारू है। वादीगण के पिता ससुर व बाबा का नाम गोविन्दा पुत्र भौदा कोली है एवं प्रतिवादीगण के पिता, बाबा व ससुर का नाम गोविन्दा पुत्र गेंदा है एवं गोविन्दा के भाई का नाम गेंदा है। इस कारण प्रतिवादीगण अत्यन्त चालाक किस्म के व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण ने अपने पिता बाबा व ससुर गोविन्दा का नाम वादीगण के पिता, ससुर, बाबा, गोविन्दा का नाम एक होने के कारण फर्जी तरीके से पटवारी हल्का से मिली भगत कर वादीगण के पिता, ससुर व बाबा गोविन्दा पुत्र भौदा के स्थान पर वादीगण के छुपाते हुये गोविन्दा पुत्र गेंदा का नाम रिकार्ड सरकारी में दर्ज करवा लिया जब कि गेंदा तो प्रतिवादीगण के पिता, बाबा, व ससुर का भाई था, तथा गोविन्दा पुत्र गेंदा नाम का कोई व्यक्ति उक्त मोहल्ले में कोई है ही नही। जब कि वादीगण के पिता व बाबा के नाम उक्त आराजीयात संवत् 2010–2013 की गिरदावरी में दर्ज है एवं संवत् 2044–2047 की जमाबंदी में दर्ज है एवं उक्त आराजी खसरा नं0 7951, 7954 की पास बुक जारी की गई थी तब भी वादीगण के पिता व ससुर बाबा गोविन्दा पुत्र भौदा का नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा गलत तरीके से वादीगण के पिता व ससुर व बाबा का नाम रिकार्ड सरकारी दर्ज कराया है उसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी वादीगण के कब्जे काश्त की चली आ रही है तथा बिना किसी रोक टोक वादीगण ही उक्त आराजी में फसल काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा है। प्रतिवादीगण की बदनीयति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। क्योंकि प्रतिवादीगण के पिता बाबा व ससुर गोविन्दा पुत्र उदा की आराजी भी वादीगण की आराजी के नजदीक है जिसका खसरा नं0 8440 है जिसका रकबा 16 बिस्वा है जो प्रतिवादीगण के पिता बाबा, ससुर, गोविन्दा व गैंदा पुत्रान उदा के नाम दर्ज है। इस कारण प्रतिवादीगण ने षडयंत्र पूर्वक हल्का पटवारी से मिलीभगत कर वादीगण की आराजी खसरा नं0 7951, 9754 रकबा 2 बीघा को अपने पिता, बाबा व ससुर गोविन्दा पुत्र उदा के स्थान पर गोविन्दा पुत्र गैंदा रिकार्ड सरकारी में दर्ज करवा दिया है। जब कि गोविन्दा व गैंदा तो भाई है वादीगण सीधे साधे इंसान है उन्हें का बात की जानकारी नही थी पता चलने पर खसरा गिरदावरी सं0 2010–2013 जमाबंदी सं0 2044, 47 व जमाबंदी सं0 2068–2071 निकलवाने पर इस बात का इल्म हुआ। प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात को अपनी कह कह बेचान करने पर उतारू है इन बाबत वादीगण द्वारा दिनांक 10.2.13 को प्रतिवादीगण को उक्त आराजी को बेचने से मना करने एवं रिकार्ड को सही कराने की कही तो प्रतिवादीगण आमादा फसाद हो गये और ऐलानियां धमकी देने लगे कि जमीन तो हमने पटवारी से मिल कर गलत तरीके से अपने नाम करवानी है। हम इसे कही भी बेच सकते है यदि हमें रोका तो जान से मार देंगे। विनाय मुखासमत दिनांक 10.2.13 को गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर प्रतिवादीगण से रिकार्ड को सही कराने की कहने पर प्रतिवादीगण ने साफ इंकार कर दिया और उक्त आराजीयात को दीगर को बेचान करने की धमकी देने पर अंदर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई और दावा काबिल समाअत हाजा है और अंदर मियाद पेश है। अंत दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15/4, 15/5, 16/1 ता 16/4, 17 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी नंबर 1, 18, 19, 20, 21, 14/1 ता 14/8, 15/1, 15/2,

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

15/6 द्वारा जबाव प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 20.02.2026 को जबाव बंद किया गया।

वादीगण साक्ष्य ली गई। वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में दीपक पीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्ध कराये है एवं दस्तावेजी में जमाबंदी संवत 2044–47 प्रदर्श–1, खसरा गिरदावरी संवत 2010–13 प्रदर्श–2, नगरपालिका निर्वाचन नामावली सन् 1995 की वोटर लिस्ट प्रदर्श–3 पेश कर प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य वादीगण समाप्त कर बंद की गई।

प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं करने पर दिनांक 19.03.2026 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नं0 7951 रकवा 1 वीघा 5 विस्वा बारानी ए खसरा नं0 7954 रकवा 15 विस्वा बारानी ए पटवार हल्का 10 करौली सी में स्थित है जो वादीगण नं0 1 के पिता व वादी नं0 2 के ससुर व वादीगण नं0 3 व 4 के बाबा गोविन्दा पुत्र भौदा की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है गोविन्दा दिनाक 21.8.2000 को फौत हो गया एवं गोविन्दा का पुत्र रामप्रसाद अर्सा करीब 4 साल पूर्व फौत हो गया एवं गोविन्दा का पुत्र रामप्रसाद अर्सा करीब 4 साल पूर्व फौत हो गया था, गोविन्दा के हम वादीगण ही वारिस और काबिज काश्त है गोविन्दा की मृत्यु के बाद उक्त आराजी का खाता हम वादीगण के नाम नही खुला है। आराजी खसरा नं0 7951, 7954 का सेटलमेंट के पूर्व का नं0 6060 व 6062 है। प्रतिवादीगण नं0 1 ता 17 बेईमान किस्म के लोग है ये लोग भूमाफिया है भोले–भाले लोगों के साथ षडयंत्र कर फर्जी तरीके से जमीनों को हडपते रहते हैं। प्रतिवादीगण ने वादीगण के साथ भी षडयंत्र कर वादीगण की आराजी को फर्जी तरीके से बेचने पर उतारू है। वादीगण के पिता ससुर व बाबा का नाम गोविन्दा पुत्र भौदा कोली है एवं प्रतिवादीगण के पिता, बाबा व ससुर का नाम गोविन्दा पुत्र गेंदा है एवं गोविन्दा के भाई का नाम गेंदा है। इस कारण प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

अत्यन्त चालाक किस्म के व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण ने अपने पिता बाबा व ससुर गोविन्दा का नाम वादीगण के पिता, ससुर, बाबा, गोविन्दा का नाम एक होने के कारण फर्जी तरीके से पटवारी हल्का से मिली भगत कर वादीगण के पिता, ससुर व बाबा गोविन्दा पुत्र भौदा के स्थान पर वादीगण के छुपाते हुये गोविन्दा पुत्र गेंदा का नाम रिकार्ड सरकारी में दर्ज करवा लिया जब कि गेंदा तो प्रतिवादीगण के पिता, बाबा, व ससुर का भाई था, तथा गोविन्दा पुत्र गेंदा नाम का कोई व्यक्ति उक्त मोहल्ले में कोई है ही नही। जब कि वादीगण के पिता व बाबा के नाम उक्त आराजीयात संवत् 2010–2013 की गिरदावरी में दर्ज है एवं संवत् 2044–2047 की जमाबंदी में दर्ज है एवं उक्त आराजी खसरा नं0 7951, 7954 की पास बुक जारी की गई थी तब भी वादीगण के पिता व ससुर बाबा गोविन्दा पुत्र भौदा का नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा गलत तरीके से वादीगण के पिता व ससुर व बाबा का नाम रिकार्ड सरकारी दर्ज कराया है उसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी वादीगण के कब्जे काश्त की चली आ रही है तथा बिना किसी रोक टोक वादीगण ही उक्त आराजी में फसल काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा है। प्रतिवादीगण की बदयान्ति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। क्योंकि प्रतिवादीगण के पिता बाबा व ससुर गोविन्दा पुत्र उदा की आराजी भी वादीगण की आराजी के नजदीक है जिसका खसरा नं0 8440 हे जिसका रकवा 16 विस्वा है जो प्रतिवादीगण के पिता बाबा, ससुर, गोविन्दा व गेंदा पुत्रान उदा के नाम दर्ज है। इस कारण प्रतिवादीगण ने षडयंत्र पूर्वक हल्का पटवारी से मिलीभगत कर वादीगण की आराजी खसरा नं0 7951, 9754 रकवा 2 वीघा को अपने पिता, बाबा व ससुर गोविन्दा पुत्र उदा के स्थान पर गोविन्दा पुत्र गेंदा रिकार्ड सरकारी में दर्ज करवा दिया है। जब कि गोविन्दा व गेंदा तो भाई है वादीगण सीधे साधे इंसान है उन्हें का बात की जानकारी नही थी पता चलने पर खसरा गिरदावरी सं0 2010–2013 जमाबंदी सं0 2044, 47 व जमाबंदी सं0 2068–2071 निकलवाने पर इस बात का इल्म हुआ। प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात को अपनी कह कह बेचान

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

करने पर उतारू है इन बाबत् वादीगण द्वारा दिनांक 10.2.13 को प्रतिवादीगण को उक्त आराजी को बेचने से मना करने एवं रिकार्ड को सही कराने की कही तो प्रतिवादीगण आमादा फसाद हो गये और ऐलानियां धमकी देने लगे कि जमीन तो हमने पटवारी से मिल कर गलत तरीके से अपने नाम करवानी है। हम इसे कही भी बेच सकते है यदि हमें रोका तो जान से मार देंगे। अंत में दावा वादी डिक्री किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज जमाबंदी संवत 2044–47 प्रदर्श–1, खसरा गिरदावरी संवत 2010–13 प्रदर्श–2, नगरपालिका निर्वाचन नामावली सन् 1995 की वोटर लिस्ट प्रदर्श–3 का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व जमाबंदी संवत 2044–47 में भूमि गोविन्दा पुत्र भौंदा जाति कोली निवासी करौली के नाम दर्ज है एवं जमाबंदी संवत 2068–71 में गोविन्दा पुत्र गेंदा के नाम अंकित है। वादीगण अपने आपको गोविन्दा पुत्र भौंदा के वारिसान कहकर आये है और वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में दो सजरा दर्ज किये गये है। इस प्रकार प्रकरण में वादीगण किस गोविन्दा के वारिसान है यह जांच किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार, करौली प्रतिवादी नंबर 22 को आदेश दिये जाते है कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 7951, 7954 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली के संबंध में गोविन्दा पुत्र भौंदा एवं गोविन्दा पुत्र गेंदा के वारिसान की विधिवत जांच कर वादीगण किसके वारिसान है की भी जांच कर वादीगण के हक में विरासत नामांतरण कार्यवाही लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करने का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, करौली को पालनार्थ भिजवायी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.3.26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली